न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 50 / 2019 (कम्प्यूटर नं. 2019 / 00112)

प्रार्थीगण

1. दीपाराम पुत्र स्व. कानाराम उम्र 37 वर्ष
2. गीता देवी पुत्री स्व. कानाराम उम्र 41 वर्ष
3. मनभरी देवी पुत्री स्व. कानाराम उम्र 39 वर्ष
4. भागूदवी पुत्री स्व. लूणाराम उम्र 55 वर्ष
5. दूदाराम पुत्र स्व. लूणाराम उम्र 60 वर्ष
6. मोहनी देवी पत्नि स्व. देवाराम उम्र 71 वर्ष
7. चेनाराम पुत्र स्व. देवाराम उम्र 28 वर्ष
8. धाराराम पुत्र स्व. देवाराम उम्र 32 वर्ष
9. सन्तोष देवी स्व. देवाराम उम्र 38 वर्ष
10. सुखादेवी पुत्री स्व. देवाराम उम्र 36 वर्ष
11. पतासीदेवी पुत्री स्व. देवाराम उम्र 34 वर्ष जाति समस्त मेघवंशी निवासीगण परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :—13.9.19

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम परेवड़ी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज केसा वल्द रामू,लूणा वल्द रामू के नाम सहखातेदारी की अवस्थित रही, प्रथम मिसल बंदोबस्त सम्वत 2008 व खतौनी सम्वत 2011—2026 प्रस्तुत की है तथा प्रार्थीगण का सजरा खानदान निम्नवत है :—

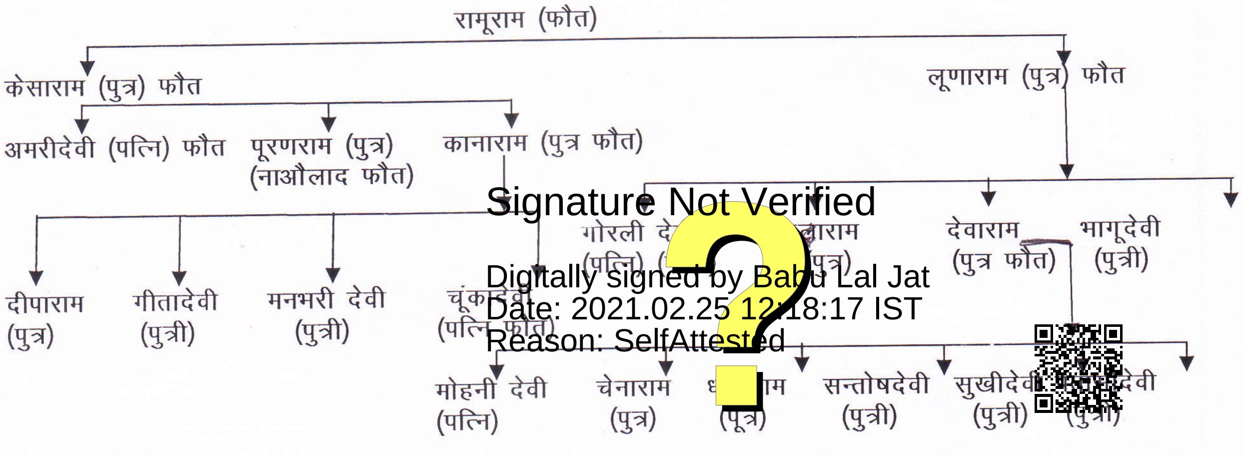

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के पूर्वज केसाराम का स्वर्गवास होने पर उनके स्थान पर उनके पुत्र पूरणराम व कानाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये गये। पूरणराम ना औलाद

उपखण्ड अधिकारी

फौत हो चुका है व कानाराम भी फौत हो चुका है कानाराम के वारिसान प्रार्थीगण दीपाराम पुत्र कानाराम चूंकादेवी पत्नि कानाराम गीतादेवी मनभरीदेवी पुत्रिया कानाराम है, इनमे से चूंकादेवी पत्नि कानाराम फौत हो चुकी है, चूकि पूरणराम पुत्र केसाराम नाऔलाद फौत हो चुका है इसलिए पूरणराम के उत्तराधिकारी प्रार्थी संख्या 1 ता 3 है, लूणाराम पुत्र रामू का स्वर्गसार हो चुका है, लूणाराम की पत्नि गोरली देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है, लूणाराम के पुत्र देवाराम फौत हो चुके है, देवाराम के वारिस प्रार्थीगण धाराराम, चेनाराम पुत्रान देवाराम, मोहनी देवी पत्नि देवाराम, सन्तोषदेवी सुखीदेवी पतासीदेवी पुत्रिया देवाराम है, लूणाराम का पुत्र दूदाराम व पुत्री भागूदेवी जीवित है जो इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 4 व 5 है, राजस्व रिकार्ड में खतौनी सम्वत 2008 से 2026 तक प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम सही अंकित रहे, परन्तु राजस्व अधिकारियो की गलती से खतौनी सम्वत 2027–2030 मे लूणाराम पुत्र रामूराम के स्थान पर सूजा पुत्र केसा अंकित कर दिया गया एवं लूणाराम पुत्र रामूराम का नाम हटा दिया जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है वास्तव में केसाराम जी के पुत्र कानाराम व पूरणराम है सूजाराम नाम का कोई पुत्र केसाराम के नही था, प्रार्थीगण के नाम ग्राम परेवड़ी में गत खसरा नम्बर 125, खातेदारी में अवस्थित था जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वज केसाराम, लूणाराम पुत्रान रामूराम के नाम राजस्व रेकार्ड में सही अंकित है इस खाते में कही पर सूजा पुत्र केसा अंकित नही है जिससे साबित है कि गत खसरा नम्बर 108 में मात्र राजस्व अधिकारियो की त्रुटि से सूजा पुत्र केसा अंकित किया गया है, नावा तहसील में द्वितीय भू–प्रबन्ध हो चुका है जिसमें ग्राम परेवड़ी के गत खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 01 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 503 रकबा 6.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 506 रकबा 9.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 3.78 हैक्टर कुल रकबा 20.40 हैक्टर कायम किय गये। राजस्व रिकार्ड में खतौनी सम्वत 2027 से 2030 में लूणा पुत्र रामू के स्थान पर सुजा पुत्र केसा मात्र सहवन से दर्ज किया गया है, उक्त त्रुटि जो कि मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है जिसके कारण सम्वत 2027 से आज दिन तक सूजाराम पुत्र केसाराम राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी सुदा भूमि को विकसित करने में अत्यधिक कठिनाईयॉ आ रही है, राजस्व रिकार्ड में सूजाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर लूणाराम पुत्र रामूराम दर्ज किये जाने से किसी भी प्रकार की क्षति नही होती है जो राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से त्रुटि की गई थी उसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 503 रकबा 6.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 506 रकबा 9.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 3.78 हैक्टर कुल रकबा 20.40 हैक्टर में सूजाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर लूणाराम पुत्र रामूराम दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे एवं लूणाराम पुत्र रामूराम का स्वर्गवास हो चुका है उसके स्थान पर उसके वारिसान प्रार्थी संख्या 4 ता 11 एवं कानाराम पूरणराम पुत्रान केसाराम का स्वर्गवास हो चुका है उनके स्थान पर उनके वारिसान प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे एवं एक तहरीर अप्रार्थी को जारी फरमाई जावे कि माफिक आदेश राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

......3........

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से मिसल बन्दोस्त सम्वत 2008–2027 ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 125, 108 की नकल, जमाबन्दी नकल सम्वत 2011–2014, 2015–2018, 2019–2022, 2023–2026, 2027–2030, 2031–2034, 2034–2037, 2038–2041, मिलान क्षेत्रफल की नकल, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, चालू खतौनी सम्वत 2073–2076 की नकल प्रस्तुत की है।

वकील प्रार्थीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, बहस दौरान विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है प्रार्थना–पत्र में अंकित इस्तदुआ प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश फरवामें। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2008 से 2027 ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 125 रकबा 88 बीघा 19 बिस्वा में खुदकाश्त जागीर 1/3 हि. केसीया व लूणा वल्द रामू कौम बलाई सा. देह ब. हिस्सा बराबर 2/3 हि खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 1 बिस्वा में खुदकाश्त जागीर 1/6 हिस्सा मोती वल्द आशा कौम जाट 1/2 हि. घीसा वल्द डूंगा केसा वल्द रामू लूणा वल्द रामू कौम बलाई 1/3 हि. सा. देह खातेदार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 503 504 505 506 507 कुल रकबा 20.44 हैक्टर मं रूपसिंह सुमेरसिंह दौलतसिंह पि ज्वारसिंह 1/6 हि. जाति राजपूत, भींवाराम पुत्र ईसरराम 1/3 हि. दानारा दीपाराम पि. मोतीराम 2/3 हि. कानाराम पूर्णराम पि. केसाराम भूराराम पेमाराम नानूराम पि. घासीराम मु. चूंकली बेवा घीसाराम 1/6 सुजाराम पुत्र केसाराम 1/6 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 508 510 651/502 कुल रकबा 6.52 हैक्टर में दीपाराम पुत्र कानाराम 1/3हि. लूणाराम पुत्र रामूराम 2/3 हि. जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2011 से 2014 ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 125 रकबा 88 बीघा 19 बिस्वा में खुदकाश्त जागीर 1/3 हि. केसीया लुणा वल्द रामु कौम बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 1 बिस्वा में खुदकाश्त जागीर 1/6 हि. मोती वल्द आशा कौम जाट 1/2 हि. घीसा वल्द रूगा केसा वल्द रामू लुणा वल्द रामू कौम बलाई 1/3 खातेदार अंकन है, सम्वत 2015–2018, तक उक्त इन्द्राज है 2019–2022, खसरा नम्बर 125 रकबा 88 बीघा 19 बिस्वा में खुदकाश्त जागीर 1/3 हि. केसीया लुणा वल्द रामु कौम बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 1 बिस्वा में रूपसिंह पुत्र सुमेरसिंह व दौलतसिंह पुत्र ज्वारसिंह राजपूत 1/6 हि. मोती पुत्र आशा कौम जाट 1/2 घीसा पुत्र रूगा केसा वल्द रामू लूण वल्द रामू कौम बलाई 1/3 हि. खातेदार दर्ज है, मे 2023–2026 खसरा नम्बर 125 रकबा 88 बीघा 19 बिस्वा में घीसूसिंह पुत्र बागसिंह कौम राजपूत 1/3 हि. [illegible] 1/2 लुणा वल्द रामु 1/3 कौम बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 1 बिस्वा में रूपसिंह पुत्र सुमेरसिंह व दौलतसिंह पुत्र ज्वारसिंह राजपूत 1/6 हि. मोती पुत्र आशा कौम जाट 1/2 घीसा पुत्र रूगा 1/6 काना पूर्णा पुत्र केसा लूणा वल्द केशा कौम बलाई 1/6 हि. खातेदार दर्ज है, तथा सम्वत 2027–2023 खसरा नम्बर 125 रकबा 88 बीघा 19

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:17 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा में घीसूसिंह पुत्र बागसिंह कौम राजपूत 1/3 हि. काना पूरण पुत्र केसा 1/3 लुणा वल्द रामु 1/3 कौम भांबी सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 108 रकबा 126 बीघा 1 बिस्वा में रूपसिंह पुत्र सुमेरसिंह व दौलतसिंह पुत्र ज्वारसिंह राजपूत 1/6 हि. मोती पुत्र आशा कौम जाट 1/2 काना पूर्णा पुत्र केसा घीसा पुत्र रूगा 1/6 सूजा वल्द केशा कौम 1/6 हि. कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2031–2034 मे भी उपरोक्तानुसार प्रविष्टि है, सम्वत 2034–2037 में भी उक्त अनुसार प्रविष्टि दर्ज है, सम्वत 2038–2041 में भी उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज रही है। जमाबंदी नकल उपलब्ध रेकार्ड सजरा खानदान का अवलोकन किया गया। प्रश्न भूमि परेवड़ी के गत खसरा नम्बर 108, 125 उनके पूर्वज केसाराम लूणाराम पुत्रान रामूराम जाति बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज चली आई है, गत खसरा नम्बर 125 के इन्द्राज सही दर्ज चले आ रहे है तथा गत खसरा नम्बर 108 में सम्वत 2030 के दौरान लूणा पुत्र रामू के स्थान पर सूजाा पुत्र केसा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन कर दिया गया जबकि गत खसरा नम्बर 125 में उक्त प्रविष्टि लूण पुत्र रामू सही दर्ज चली आ रही है। दोनो खसरान की प्रविष्टियो को देखने पर स्पष्ट होता है कि उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है जिसे सुधारे जाने से किसी भी व्यक्ति खातेदार इत्यादि के हितो पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ने वाला है, प्रार्थीगण क़ी साथ ही इस्तदुआ है कि पूरणराम नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके स्थान पर उसके भाई कानाराम का नाम दर्ज किया जावे तथा कानाराम भी फौत हो चुका है जिसके स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज किया जावे, पूरणराम एवं कानाराम के स्थान पर प्रार्थीगण 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। परन्तु पूरणराम के स्थान पर खातेदारी के लिए वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तत कर नामान्तरकरण दर्ज करावे एवं कानाराम के फौत होने से उसके स्थान पर प्रार्थीगण वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर से फौतगी नामान्तरकरण तस्दीक करावे। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर सुजा पुत्र केसा के स्थान पर प्रविष्टि सही लूणा पुत्र रामू जाति मेघवंशी दर्ज की जावे तत्पश्चात लूणा पुत्र रामू के फौत होने से उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान द्वारा लूणा के वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की रिलीफ प्रार्थीगण 4 से 11 को दी जाती है।

आदेश

ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 503 रकबा 6.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 506 रकबा 9.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 3.78 हैक्टर कुल रकबा 20.40 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि सुजाराम पुत्र केशाराम हिस्सा 1/12 जाति [illegible] के स्थान सही प्रविष्टि लूणा पुत्र रामू जाति मेघवंशी हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार दर्ज किया जावे। लूणा पुत्र रामू के उत्तराधिकारियो द्वारा लूणा का वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे।

आदेश आज दिनॉक 13.9.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:17 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)